

# पंचायत उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी (राज0)

पत्र संख्या : 06 / 2024  
DCMS NO:- 2024/09

दायर दिनांक: 04.01.2024  
पीठारीन अधिकारी :- श्रीमती प्रीति मीणा

1. दुर्गालाल आ0 कान्हा जाति धाकड नि0 सुरगली तहसील नैनवाँ।
2. मांगीबाई पुत्री कान्हा नि0 सुरगली पत्नी मोतीशंकर जाति धाकड नि0 खेडामानपुरा तहसील नैनवाँ।
3. शंकर आ0 कान्हा जाति धाकड नि0 सुरगली तहसील नैनवाँ।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत बाछोला, पंचायत समिति नैनवाँ तहसील नैनवाँ।
2. भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, नैनवाँ।

—अप्रार्थीगण —

प्रार्थना पत्र:- अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति-

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र नागर।

निर्णय दिनांक 17.6.2025

## निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सुरगली तहसील नैनवाँ की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या नया 28 व पुराना 28 के खसरा नम्बर 106, 116, 242, 42, 48, 61 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 7.9848 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खेती काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 61 पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम सुरगली से बाछोला जाने वाले रोड से फटकर खसरा नम्बर 65, 66 व 67 में होकर खसरा नम्बर 348/685 की मेड के सहारे होता हुआ प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार के खेत खसरा नम्बर 61 में पहुंचता है। उक्त रास्ता करीबन 14 फीट चौड़ा है जिसमें होकर प्रार्थीगण अपने कृषि उपकरणों को लेकर आवागमन कर रहे हैं। उक्त रास्ते को परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

यह कि उक्त रास्ते की तरमीम नहीं होने से प्रत्यार्थीगण के मन में बदनियती आ गई तथा उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियां दे रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारे रास्ते को बंद करके ही रहेंगे और तुम्हें किसी भी किमत पर इस रास्ते से होकर आवागमन नहीं करने देंगे। यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह उक्त रास्ते का खुलासा करवाये एवं रास्ते को 30 फीट चौड़ा करवाकर राजरव अभिलेखों में दर्ज करवाये। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क, नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी थी। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

वहस सूनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सुरगली में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 61 पर जाने का एकमात्र रास्ता ग्राम सुरगली से बाछोला जाने वाले रोड से फटकर खसरा नम्बर 65, 66 व 67 में होकर खसरा नम्बर 348/685 की मेड के सहारे होता हुआ प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार के खेत खसरा नम्बर 61 में पहुंचता है, को बहाल करवाकर राजरव रिकॉर्ड में परिशिष्ट अ में बताये अनुसार दर्ज किया जावे।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी वहस को ध्यानपूर्वक सूना। वहस में किये गए निवेदन, प्रार्थना-पत्र, व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस खातेदारी खेत खसरा नम्बर 61 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, पर जाने का खसरा नम्बर 66 व 67 से नक्शा में दर्शाये अनुसार


रास्ता दिया जाना उचित होगा तथा उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवाँ की रिपोर्ट दिनांक 02.06.2025 के अनुसार ग्राम सुरगली स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 61 पर आने जाने के लिए खसरा नम्बर 66 व 67 में से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिरामे रास्ता दर्शाया गया है, जो परिशिष्ट के नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

### रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरण:-

खसरा नं०	खातेदार	किस्म	लम्बाई	x चौड़ाई	क्षेत्रफल
66	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	24 मीटर	x 4 मीटर	96 वर्गमीटर
					अर्थात् 0.0096 हैक्टर
67	सिवायचक (सरकारी)	बंजड	$\frac{2 \text{ मीटर}}{2}$	x 2 मीटर	2 वर्गमीटर
					अर्थात् 0.0002 हैक्टर

कुल क्षेत्रफल = 98 वर्गमीटर या 0.0098 हैक्टर

तहसीलदार नैनवाँ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर प्रार्थीगण का रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नैनवा

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नवशा एंव जगाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 02/06/2025 12:24:12 PM


जिला : बूँदी

तहसील : नैनवा

भू. अ. नि. क्षेत्र : जजावर

खसरी हल्का : उगेन

ग्राम : सुरगली



Scale 1:1000

खसरा संख्या : 348/68 क्षेत्रफल : 0.3236 Hectare खाता संख्या : 111 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] :

1.) ग्राम पंचायत बाछीला आबादी भूमि हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिये

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

02/06/25  
T.C.R.

02/06/2025  
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील  
पप्पू जट्ट  
खसरी  
जजावर  
नैनवा (बूँदी)